राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–807 / 2015 / अलवर

1. श्री भगवानदास पुत्र श्री चेलाराम, जाति खत्री सिन्धी, निवासी वार्ड नंबर 20, आनन्द नगर कॉलोनी, खैरथल, जिला अलवर। ...प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप–पंजीयक खैरथल, जिला अलवर।
2. नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रतन सिंह, जाति जाट।
3. बंसत सिंह पुत्र श्री रतन सिंह जाति जाट

समस्त निवासीगण वार्ड नंबर–25, आनन्द नगर कॉलोनी, खैरथल, तहसील किशनगढ़–बास जिला अलवर।

...अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री कंवर दानिश
अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से
श्री डी. पी. ओझा
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी सं. 1 की ओर से
नाम तर्क किया गया ....अप्रार्थी सं. 2 व 3

निर्णय दिनांक : 31.05.2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) वृत्त अलवर (जिसे आगे **'कलक्टर'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 31.03.2015 प्रकरण संख्या 474 / 2014 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उप–पंजीयक खैरथल, द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कृषि आराजी वाकै ग्राम खैरथल तहसील किशनगढ़–बास, जिला अलवर की कृषि आराजी खसरा नंबर 710, रकबा 0.63 हैक्टेयर का 19 / 63 हिस्सा यानी 19 एयर को प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 2 व 3 से क्रय किया था जिसका विक्रय पंजीयन दस्तावेज को पंजीयन कराने हेतु दिनांक 30.07.2014 को कार्यालय उप–पंजीयक महोदय खैरथल जिला अलवर में प्रस्तुत किया गया था। दस्तावेजात को उप–पंजीयक महोदय खैरथल जिला अलवर द्वारा दिनांक 30.07.2014 को ही पंजीबद्ध कर प्रार्थी / निगरानीकार को लौटा दिया गया था। तत्पश्चात श्रीमान् उप–महानिरीक्षक अलवर के निरीक्षण दल द्वारा उक्त दस्तावेज को कमी मालियत का मानते हुए अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में

२४

लगातार.........2

रेफरेन्स बना प्रस्तुत किया गया, जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी/निगरानी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए उक्त रेफरेन्स यथावत स्वीकार करते हुए दस्तावेज की कमी मालियत 65,89,960/– रूपये पर कमी मुद्रांक 2,56,500/– रूपये, सरचार्ज शुल्क 25,650/– रूपये कमी पंजीयन शुल्क 35,400/–, शास्ति 79,390/–, एवं ब्याज 25,410/– रूपये, कुल 4,22,350/– रूपये वसूल करने के आदेश दिनांक 31.03.2015 को पारित किया।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के विरूद्ध तलबी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन थी परन्तु विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के निवेदन पर इनका नाम तर्क किया गया क्योंकि मुद्रांक कर की देयता प्रार्थी क्रेता की है जबकि अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 विक्रेतागण है तथा प्रार्थी द्वारा अनुतोष अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध ही चाहा गया है।

4. प्रकरण में बहस विद्वान उपस्थित अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है। निर्णय की जानकारी वसूली की कार्यवाही से हुई है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में रेफरेन्स को स्वीकार करने के सम्बन्ध में कोई कारण अंकित नहीं किया गया है। निर्णय नॉन स्पीकिंग व नॉन रीजण्ड है। निर्णय में तर्क, कारण व विवेचना का अभाव है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान मुद्रांक नियम 2003 के नियम 65 की पालना किये बिना व बिना कोई जांच किए रेफरेन्स स्वीकार किया है जो विधिसम्मत नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर रेफरेन्स खारिज किया जावे।

6. राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः निगरानी खारिज की जावें।

7. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

8. विचाराधीन प्रकरण में दिनांक 30.07.2014 दस्तावेज पंजीयन कर प्रार्थी को लौटा दिया था तथा उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग अलवर के मौका निरीक्षण के आधार पर रेफरेन्स उप–पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, खैरथल (अलवर) के पत्र क्रमांक 2014/316 दिनांक 01.12.2014 द्वारा प्रस्तुत किया गया है। रेफरेन्स का आधार यह है कि मौके पर प्लाटिंग हेतु सड़क डली हुई है, हनुमान मंदिर पहाड़ी रोड़ पर है। अतः आवासीय पास की दर 2,900/– रूपये प्रति वर्गगज

लगातार..........3

से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए निर्णय दिनांक 31.03.2015 द्वारा निगरानीकर्ता की पैरवी के अभाव में रेफरेन्स को यथावत स्वीकार किया है तथा इस संबंध में राजस्थान मुद्रांक नियम 2003 के नियम 65 के अंतर्गत न तो कोई जांच की गई है व न ही निर्णय में रेफरेन्स को स्वीकार करने के संबंध में कारणों का विवेचन एवं विश्लेषण किया गया है। मौका निरीक्षण की तिथि व प्रार्थी को मौका निरीक्षण हेतु उपस्थित रहने बाबत् सूचित किया गया था या नहीं, स्पष्ट नहीं है।

9. निगरानी में मुख्य आधार यह है कि निर्णय में रेफरेन्स के बिन्दुओं को बिना कोई विवेचना एवं विश्लेषण किये पारित किया है जो विधिसम्मत नही है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में रेफरेन्स को स्वीकार करने के सम्बन्ध में कोई कारण अंकित नहीं किया गया है। निर्णय नॉन स्पीकिंग व नॉन रीजण्ड है। निर्णय में तर्क, कारण एवं विधिक विवेचना का अभाव है।

कलक्टर (मुद्रांक) अजमेर के निगरानीधीन आदेशों के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि कलक्टर (मुद्रांक) ने रेफरेन्स के तथ्यों की विवेचना किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स रेफरेन्स स्वीकार किये जाने का काई आधार स्पष्ट नहीं किया है व न ही रेफरेन्स के तथ्यों के संबंध में कोई जांच की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व बनता है कि उसके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं की विवेचना करने के उपरान्त ही उन्हें मानने या न मानने पर तथ्यों पर आधारित अपना मत प्रकट करते, जिससे अपीलीय अधिकारी के आदेश/निर्णय के विरूद्ध अपील होने पर सम्बन्धित न्यायालय अपना निर्णय पारित करें कि अवर अधिकारी का निर्णय न्याय संगत है अथवा नहीं किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व बनता है कि वह सचेतन मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए निष्पक्ष अभिव्यक्ति दें। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ के सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स,कोटा बनाम मैसर्स शुक्ला एड ब्रदर्स (Civil Appeal No. Nil of 2010/S.L.P.(C)No. 16466 of 2009), date 15.4.2010) में पारित किय गये निर्णय के कुछ अंश उद्धृत किया जाना उक्त परिप्रेक्ष्य में समीचीन होगा :–

".... To subserve the purpose of justice delivery system therefore, it is essential that the Courts should record reasons for its conclusions whether disposing of the case at admission stage or after regualr hearing."

लगातार.........4

"A litigant has legitimate expectatoion of knowing reasons for rejection of his claim/payer. It is then alone, that a party would be in a position to challenge the order on appropriate grounds. As arguments bring things hidden and obscure to the light of reasons, reasoned judgment where the law and factual matrix of the case it discussed provided lucidity and foundation for conclusions or exercise of judicial discretation by the Courts. Reason is the very life of law. When the reason of a law once ceases, the law itself generally cease. Such is the significance of reasoning in any rule of law. Giving reasons furthers the cause of justice as well as avoids uncertainty. As a matter of fact it helps in the observance of law of precedent . Absence of reasons on the contrary essentially introduces an element of uncertainty, dissatisfaction and give entirely different dimensions to the questions of law raised before the higher appellate Courts. When reasons are announced and can be weighed, the public can have assurance that process of corection is in place and working. It is requirement of law that correction process of judgments should not only appeaaar to be implemented but also to have been properly implemented. Reasons for an order would ensure and enhance public confidence and would provide due satisfaction to the consumer of justice under our justice dispensation system."

उपरोक्त विधिक धारणा से भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नही है।

10. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि निगरानीधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया हैं तथा यदि प्रकरण में निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रतिप्रेषित किया जाता है तो न्यायिक दृष्टिकोण से प्रार्थी को सुनवाई का भी समुचित अवसर मिल सकेगा।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विवेचना–विश्लेषण सहित निर्णय पारित नही करने के कारण विधिसम्मत नही होने के कारण निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 2004 के नियम 65 की पालना करते हुए पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.07.2017 को पेश हों।

12. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य